

प्ररूप सं. 10गगड

[नियम 19कघ देखिए]

उन पेटेंटियों (पेटेंटधारियों) के लिए, जिन्हें स्वामिस्व आय आदि प्राप्त होती है,
धारा 80ददख की उपधारा (2) के अधीन प्रमाणपत्र

भाग क

(निर्धारिती द्वारा भरा जाए)

1. पेटेंट के ब्यौरे :

- (i) पेटेंट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक
- (ii) पेटेंट के रजिस्ट्रीकरण की तारीख
- (iii) पेटेंट का शीर्षक
- (iv) क्या पेटेंट परिवर्धन पेटेंट की प्रकृति का है (हां/नहीं)
- (v) यदि (iv) का उत्तर हां में है, तो मूल पेटेंट का शीर्षक तथा रजिस्ट्रीकरण संख्यांक

2. पेटेंटी (पेटेंटधारी) के ब्यौरे :

- (i) पेटेंटी (पेटेंटियों) का (के) नाम और पता (पते)
- (ii) क्या पेटेंटी आविष्कार का वास्तविक और प्रथम आविष्कर्ता है (हां/नहीं)
- (iii) वह तारीख जिसको पेटेंटी का नाम पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया था
- (iv) क्या पेटेंटी का नाम मद संख्या (i) में वर्णित पेटेंट की बाबत पेटेंट रजिस्टर से रद्द या निकाला गया था (हां/नहीं)
- (v) यदि (iv) का उत्तर हां है तो वह तारीख जिसमें नाम रद्द या निकाला गया था

3. पेटेंट से संबंधित स्वामिस्व आय का संदाय करने वाले व्यक्ति का नाम और पता :

4. स्वामिस्व करार के ब्यौरे :

(क) स्वामिस्व की प्रकृति (जहां लागू हो वहां ✓ का निशान लगाएं)

- (i) पेटेंट की बाबत सभी या किन्हीं अधिकारों का (जिनमें अनुज्ञप्ति की मंजूरी भी है) अंतरण
- (ii) पेटेंट के कार्यकरण या प्रयोग से संबंधित किसी सूचना का प्रदान किया जाना
- (iii) पेटेंट का प्रयोग
- (iv) उपखंड (i) से (iii) में निर्दिष्ट क्रियाकलापों से संबंधित किन्ही सेवाओं का प्रदान किया जाना
- (v) वाणिज्यिक उपयोग के लिए पेटेंटकृत प्रक्रिया के पेटेंटकृत वस्तु के प्रयोग से विनिर्मित उत्पादों के विक्रय के लिए प्रतिफल

- (ख) वह अवधि जिसके लिए करार लागू है
- (ग) पूर्ववर्ष के लिए संदेय स्वामिस्व आय की रकम (भारतीय रुपयों में)

5. संदाय के ब्यौरे

- (i) भारतीय रुपयों में प्राप्त संदाय
- (ii) विदेशी करेंसी में प्राप्त संदाय (भारतीय रुपयों में मूल्य)
- (iii) प्राप्त कुल संदाय
- (iv) यदि विदेशी करेंसी में है, तो निम्नलिखित प्ररूप में संदाय के ब्यौरे :

वर्ष के दौरान संदेय	वस्तुतः संदेय रकम	संदाय की तारीख	संदाय का ढंग
कुल रकम			

सत्यापन

6. यह सत्यापित किया जाता है कि मैं/हम सुपुत्र (1[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]) पेटेंट अधिनियम 1970 के अधीन..... स्थित पेटेंट कार्यालय में रखे गए पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्ट नामक शीर्षक की बाबत आविष्कार के वास्तविक और प्रथम आविष्कर्ता के रूप में पेटेंटी हूँ/हैं।

यह और सत्यापित किया जाता है कि पूर्ववर्ष के दौरान हमने श्री/सुश्री से ऐसे पेटेंट से स्वामिस्व आय के रूप में संदाय प्राप्त किया है, जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80ददख के अधीन कटौती योग्य है

.....

निर्धारिती के हस्ताक्षर और नाम

.....

तारीख :

पता :

स्थान :

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से “स्थायी खाता संख्यांक” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

भाग ख
(विहित प्राधिकारी द्वारा भरा जाए)

प्रमाणन

यह प्रमाणित किया जाता है कि निर्धारिती द्वारा भाग क की मद सं. 1 और 2 के संबंध में दी गई जानकारी हमारे द्वारा रखे गए पेटेंट रजिस्टर के अनुसार सही है।

यह और प्रमाणित किया जाता है कि भाग क की मद सं. 1 में वर्णित पेटेंट की बाबत नियंत्रक द्वारा अनिवार्य अनुज्ञप्ति जारी की गई है/नहीं की गई है (जो लागू न हो उसे काट दें) और 1 अप्रैल..... से प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, को समाप्त होने वाली अवधि के संबंध में किसी अनिवार्य अनुज्ञप्ति के निबंधनानुसार तय पाई गई स्वामिस्व आय रुपए है (यदि कोई अनिवार्य अनुज्ञप्ति जारी नहीं की गई हो तो इसे न भरा जाए)

तारीख :

स्थान :

.....
नियंत्रक का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर

.....
पता :